



2026:AHC:52273

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3561/2026

सुभाष कुमार झा

.....याची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्यविपक्षी (गण)

याची के अधिवक्ता: अजय मिश्रा, शुभम कुमार दुबे

विपक्षी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम कुमार दुबे की ओर से ब्रीफ होल्ड कर रहे श्री कुमार प्रज्ज्वल (AoR No.A/K 2174/2025) द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.के. मिश्रा और विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, पांचवें विपक्षी को नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं।
3. याची का मामला यह है कि उसे वर्ष 1999 में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चुना गया था और उसके पश्चात, वह 27.05.2022 को सहायक विकास अधिकारी (आर.डी.) के पद पर था। याची के अनुसार, विपक्षी संख्या 5, जो कि एक पत्रकार है, उसने एक सत्यपाल नामक व्यक्ति के साथ मिलीभगत कर याची के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई। याची के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति के आरोप के संबंध में एक जांच की गई थी जिसमें कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया था और उसके पश्चात, वर्ष 2023 में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 469, 471, 384 और 120B के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी, जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। हालांकि, पांचवां विपक्षी ब्लैकमेल करने का आदी है।

अतः, याची की पत्नी ने विपक्षियों के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि पूरे परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हालांकि, अब पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग आगरा ने 16.02.2026 को याची को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें याची को जांच में शामिल होने और उस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

4. उक्त नोटिस को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि विवादित नोटिस एक क्षण के लिए भी टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि यह बिना किसी अधिकार के है और बिना किसी ऐसी शिकायत के है जिसे सरकारी आदेश के अनुसार शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया गया हो, अतः कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी। तर्क यह है कि पूरी कार्रवाई प्रतिशोधात्मक है और एकमात्र प्रेरक कारक यह तथ्य है कि याची पांचवें विपक्षी द्वारा डाले गए दबाव के आगे नहीं झुका, जो याची को ब्लैकमेल करने का आदी है। इस संबंध में इस न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा विविध बेंच संख्या 32018 वर्ष 2019, जुहैर बिन सगीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 08.01.2020 को निर्णीत हुई, के खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा जताया गया है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि याची ने विपक्षी संख्या 3 के समक्ष भी मामला प्रस्तुत किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
6. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन करते हुए, दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार का तर्क है कि इस स्तर पर याची के पास वर्तमान रिट याचिका को बनाए रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, विशेष रूप से जब केवल नोटिस जारी किया गया है और यह याची का काम है कि वह नोटिस का जवाब दे और मामले के सभी कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं को सामने रखे।
7. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।
8. स्पष्ट रूप से, याची एक ग्राम विकास अधिकारी है, जिसकी सेवाएँ 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के तहत शासित होती हैं। वास्तव में, वर्तमान मामले में, याची के अनुसार, उसे पांचवें विपक्षी द्वारा ब्लैकमेल किया गया है, क्योंकि उसके



अनुसार पहले भी आय और संपत्ति से अधिक संपत्ति के कब्जे के आरोप के संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसका निर्णय याची के पक्ष में हुआ था और उसके बाद, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

9. न्यायालय की राय में, चूंकि इस स्तर पर तीसरे विपक्षी द्वारा केवल एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें याची से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। अतः यह याची का काम है कि वह क्षेत्राधिकार के साथ-साथ शिकायत की विचारणीयता सहित सभी कानूनी और तथ्यात्मक आधारों को लेते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, जिसके आधार पर नोटिस जारी होने के बाद जांच की जा रही है, और यह तर्क दे कि शिकायत फर्जी है और शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं है, जैसा कि जुहैर बिन सगीर (उपरोक्त) के निर्णय में कहा गया है। वैसे भी, इस न्यायालय के लिए आरोपों के गुण-दोष पर विचार करना उचित नहीं होगा, विशेष रूप से जब केवल नोटिस जारी किया गया है और याची को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है।

10. तदनुसार, इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया जाता है। रिट याचिका को याची के लिए यह विकल्प खुला छोड़ते हुए निस्तारित किया जाता है कि वह सभी कानूनी और तथ्यात्मक दलीलें लेते हुए जवाब दे, और यदि ऐसी दलीलें ली जाती हैं, तो इस न्यायालय के पास यह अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उन पर कानून के अनुसार सख्ती से विचार नहीं किया जाएगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

मार्च 16, 2026

एन. एस. राठौर